न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2017 निगरानी PBR/Apprl/Nimach/R/2017/1908

देवेन्द्र प्रताप पिता रामेश्वर दास वैरागी निवासी कुकड़ेश्वर, तहसील मनासा जिला, नीमच (म.प्र.)

.... आवेदक

विरुद्ध

सत्यनारायण पिता शंकरदास जी बैरागी निवासी कुकड़ेश्वर, तहसील मनासा जिला, नीमच (म.प्र.)

.... अनावेदक

द्वारा आज दि. 27-6-17 प्रस्तुत

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. 1959 प्र.क्र. /जांच/12–13 अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 28.4.17 एवं 15.5.17 के विरुद्ध।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/नीमच/भू.रा./2017/1908 जिला नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–10–2017	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 28–4–17 एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15–5–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा मंदिर के पुजारी द्वारा की गई अनियमितताओं का उल्लेख करते हुये पुजारी के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी की ओर भेजा गया और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 15–5–17 को आदेश पारित कर उभयपक्ष की सुनवाई हेतु दिनांक 25–5–17 नियत की गई है । स्पष्ट है कि तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जिसके विरूद्ध निगरानी सुने जाने का औचित्य हो । इसके अतिरिक्त पुजारी से संबंधित की गई कार्यवाही एवं पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार भी इस न्यायालय को नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) **अध्यक्ष**	